श्रवण कुमार बनाम भंवरलाल मु.नं. 104/22

दिनांक	आज्ञा पत्र	
22/4/25	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पो. उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज ...S.O.... पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 20.5.25 को पेश होवे।	
20.5.25	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट उप. बहस सुनी गई। आगामी आदेश हेतु दिनांक 26-5-25 को पेश हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
26.5.25	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट ...खारिज... की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी * सीकर * सत्यमेव जयते

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 104 / 2022

1 श्रवण कुमार आयु 55 साल पुत्र भूराराम
2 मदनलाल आयु 53 साल पुत्र भूराराम
3 बलबीर सिंह आयु 62 साल पुत्र झाबर
4 गिरधारी लाल आयु 60 साल पुत्र झाबर
समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम फदनपुरा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 भंवरलाल आयु 55 साल पुत्र गोविन्दाराम
2 केशर आयु 45 साल पुत्र सुरजाराम
3 ज्याना आयु 71 साल पत्नी सुरजाराम
4 ताराचन्द आयु 32 साल पुत्र सुरजाराम
5 विद्याधर आयु 52 साल पुत्र सुरजाराम
6 परमेश्वर आयु 42 साल पुत्र सुरजाराम
7 नारायण आयु 68 साल पुत्र सांवला
8 रतनसिंह आयु 56 साल पुत्र नोपा
समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम फदनपुरा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आज्ञा दिनांकित 25.08.2022 उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ अन्तर्गत विविध प्रार्थना पत्र संख्या 06 / 2021 श्रवण कुमार आदि बनाम भंवरलाल आदि आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जिसके द्वारा अपीलार्थीगण का आवेदन निरस्त किया गया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री इस्लाहुद्दीन गौरी , अधिवक्ता अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 26/5/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 06/2021 में पारित निर्णय दिनांक 25.08.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण खसरा नम्बर 53 रकबा 3.2 हैक्टेयर वाके ग्राम फदनपुरा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर के खातेदार काश्तकार एवं काबिज है। अपीलार्थीगण की उक्त भूमि में आवागमन का रास्ता कृषि भूमि खसरा नम्बर 48 रकबा 1.74 हैक्टेयर की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे एवं भूमि खसरा नम्बर 52/7 रकबा 0. 11 हैक्टेयर की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे संलग्न नक्शे में ए बी सी डी ई एफ जी एच से दर्शित 14 फीट चौड़ा रास्ता आवागमन हेतु सदैव से अवस्थित रहता रहा है को रेस्पोडेन्ट द्वारा बन्द करने के कारण प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते को खुलवाने व राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने हेतु एक किता आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क उपधारा 1 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर के समक्ष श्रवण कुमार आदि बनाम भंवरलाल आदि विविध आवेदन संख्या 06/2021 विविध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया जिसे विचारण न्यायालय ने सरसरी तौर पर ही निरस्त किये जाने की आज्ञा दिनांक 25.08.2022 को पारित की गई है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा आज्ञा दिनांकित 25.08.2022 पारित करने से पूर्व प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार से साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया, यदि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता तो यह प्रमाणित हो जाता कि उपरोक्त

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

वर्णित रास्ता अर्सा कदीम से मौके पर अवस्थित होकर आवागमन में प्रस्तुत होता चला आ रहा है। विचारण न्यायालय द्वारा केवल मात्र तहसीलदार की रिपोर्ट का भी सही रूप से अवलोकन नहीं किया गया। यदि तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांकित 13.07.2021 को देखा जाता तो तहसीलदार द्वारा उपरोक्त वर्णित रास्ते के वजूद को मौके पर अवस्थित होना मान्य किया गया है केवल मात्र इस आधार पर ही रेस्पोडेन्ट द्वारा केवल मात्र एक स्थान पर मिट्टी डालकर रास्ता बन्द किया हुआ है। अपीलार्थीगण का आवेदन निरस्त करने में सख्त कानूनी भूल की गई है। तथाकथित रिपोर्ट तहसीलदार दिनांकित 13.07.2021 स्वीकारित रूप से भू–अभिलेख अधिकारी रहनावा के द्वारा रेस्पोडेन्ट से मिलकर तैयार की गई है जबकि कानूनन मौका रिपोर्ट मौके जाकर स्वयं तहसीलदार द्वारा तैयार करनी चाहिए। यदि उक्त स्थिति रिकार्ड पर मौजूद थी तो विचारण न्यायालय को निश्चित तौर पर तहसीलदार की उक्त रिपोर्ट निरस्त कर दूसरा मौका निरीक्षण करवाना चाहिए था, विचारण न्यायालय द्वारा कानून के प्रावधानों के विपरित जाकर उक्त आदेश पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय की आज्ञा दिनांकित 25.08.2022 कानूनन कोई आज्ञा नहीं है तथा पूर्णतः धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय की आज्ञा दिनांकित 25.08.2022 निरस्त किये जाने के आदेश फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट द्वारा धारा 251 ए के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर रास्ते की मांग की गई थी। इस आवेदन पर विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार द्वारा दिनांक 22.07.2021 से भू–अभिलेख निरीक्षक से मौका रिपोर्ट तैयार कर विचारण न्यायालय को भिजवाई गई थी। विचारण न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी भंवरलाल की ओर से मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत कर उभयपक्ष की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया गया। विचारण न्यायालय ने इस आपत्ति पर उभयपक्ष को सुनकर विचाराधीन निर्णय दिनांक 25.08.2022 से बिना किसी विवेचन के आपत्ति स्वीकार कर प्रार्थी अपीलांन्ट का आवेदन धारा 251 ए ही खारिज कर दिया।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन आदेश में प्रार्थी अपीलान्ट के आवेदन, अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट की आपत्ति एवं तहसीलदार द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के तथ्यों का विवेचन किये बिना सकारण निर्णय अंकित किये बिना आदेशिका में संक्षिप्त अंकन कर विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी अपीलांट आवेदन खारिज कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल के विधिक प्रावधानों की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर पक्षकारों की आपत्ति लेकर आपत्ति का निस्तारण कर बाद सुनवाई प्रकरण में विधिक प्रक्रिया अनुसार गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.06.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 26/5/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर